

जी हॉ।

उक्त पत्र के मुख्य बिन्दु निम्न हैं-

- (1) मार्ग का जीर्णशीर्ण, संकरा एवं नीचा होना।
- (2) मार्ग का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराया जाना।

जी हॉ।

प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 19.55 किमी० है, जिसमें से प्रारम्भिक 14.20 किमी० लम्बाई ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत अन्य जिला श्रेणी का मार्ग है, जिसके चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत है। अवशेष 5.35 किमी० लम्बाई लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में है, जिसमें से 4.35 किमी० ग्रामीण श्रेणी का भाग है, जिसका यातायात घनत्व (पी०सी०यू०) 1648 है, जो चौड़ीकरण हेतु निर्धारित मानकों से आच्छादित नहीं है।

लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व वाले भाग को उपलब्ध संसाधनों से निरंतर यातायात हेतु सुगम रखा जा रहा है।

जितिन प्रसाद

मंत्री

लोक निर्माण विभाग।